@संसद अधिकारी (मोटरकार अग्रिम) नियम, 1953

केंद्रीय सरकार, संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20) की धारा 8 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके, मोटरकार खरीदने के लिए संसद अधिकारियों को अग्रिम का दिया जाना विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद अधिकारी (मोटरकार अग्रिम) नियम, 1953 है।

(2) ये 1 मई, 1953 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. **अग्रिम की अधिकतम रकम** - (1) ऐसी अधिकतम रकम जो किसी संसद अधिकारी को मोटरकार खरीदने के लिए उधार दी जाती है, *'एक लाख' रूपये या उस मोटरकार की, जिसके खरीदने का विचार है, वास्तविक कीमत से, इनमें से जो भी कम है, अधिक नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन अग्रिम रकम राष्ट्रपति के नाम में मंजूर की जाएगी और उसे अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 के उपबंधों के अनुसार अधिप्रमाणिकृत किया जाएगा।

3. **अग्रिम का प्रतिसंदाय** - (1) नियम 2 के अधीन दिए गए अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली, संबद्ध संसद अधिकारी के वेतन बिल से अधिक से अधिक साठ समान मासिक किस्तों में की जाएगी। किन्तु यदि अग्रिम लेने वाला संसद अधिकारी चाहे तो सरकार कम किस्तों में वसूली अनुज्ञात कर सकेगी। कटौती अग्रिम लेने के पश्चात् वेतन के पहले बिल से प्रारंभ की जाएगी। अग्रिम पर साधारण ब्याज उस दर पर प्रभारित किया जाएगा जो सरकारी सेवकों द्वारा वाहन खरीदने के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियत की जाए।

स्पष्टीकारण - प्रतिमास वसूल की जाने वाली अग्रिम की रकम पूर्ण रूपयों में नियत की जाएगी सिवास अंतिम किस्त के, जब शेष बकाया रकम, जिसके अंतर्गत रूपये का कोई भाग भी है, वसूल की जाए।

@ हिन्दी अनुवाद भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, अनुभाग 3-क, दिनांक 31.8.1988 में प्रकाशित किया गया।

* भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1), दिनांक 23.02.1999 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 13(3)/98-का. अ. द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि कोई संसद अधिकारी अग्रिम का पूर्णत: प्रतिसंदाय किए जाने के पूर्व अपना पद त्याग देता है तो शेष बकाया राशि उस पर ब्याज सहित तुरंत सरकार को एक मुश्त राशि में संदत्त की जाएगी।

4. **मोटरकार का विक्रय -** (1) उस दशा के सिवाय जब कोई संसद अधिकारी अपना पद छोड़ता है, संसद अधिकारी अग्रिम की सहायता से खरीदी गई मोटरकार के विक्रय के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी उस दशा में लेगा जब ऐसा अग्रिम उस पर उद्भूत ब्जाय सहित पूर्ण रूप से प्रतिसंदत्त नही कर दिया गया है। यदि कोई संसद अधिकारी अपनी मोदरकार का अंतरण किसी अन्य संसद अधिकार को करना चाहता है तो उसे मोटरकार से संबद्ध दायित्व का पश्चात्वर्ती संसद अधिकारी को अंतरण करने की सरकार के आदेशों के अधीन अनुज्ञा दी जा सकेगी, परंतु यह तब जब खरीदने वाला संसद अधिकारी यह घोषण अभिलिखित करे कि उसे इस बात की जानकारी है कि उसे अंतरित मोटरकार बंधक की हुई है और वह बंधपत्र के निबंधनों और उपबंधों से आबद्ध है।

(2) उन सभी मामलों में जहां किसी मोटरकार का विक्रय, सरकार से उसके खरीदने के लिए प्राप्त अग्रिम राशि का ब्याज सहित पूर्ण रूप से प्रतिसंदाय किए जाने से पूर्व किया जाता है, वहां विक्रय आगम का उपयोग, जहां तक आवश्यक हो ऐसी शेष बकाया रकम के प्रतिसंदाय के लिए किया जाना चाहिए। परंतु जब मोटरकार का विक्रय कोई दूसरी मोटरकार खरीदने के लिए ही किया जाता है, तब सरकार, संसद अधिकारी को विक्रय आगम का ऐसी खरीद के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा निम्तलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए दे सकेगी, अर्थात् :-

(क) बकाया रकम नई कार की लागत से अधिक नहीं होने दी जाएगी;

(ख) बकाया रकम का प्रतिसंदाय पूर्व नियत दर पर किया जाता रहेगा; और

(ग) नई कार का बीमा कराया जाएगा और वह सरकार को बंधक की जाएगी।

5. **अवधि जिसके भीतर कार खरीदने के लिए बातचीत पूरी की जा सकेगी -** अग्रिम लेकर मोटरकार खरीदने वाला संसद अधिकारी मोटरकार खरीदने की बातचीत पूरी करके उसका अंतिम संदाय अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर करेगा; ऐसी बातचीत पूरी करके संदाय करने में असफल रहने पर, लिए गए अग्रिम की पूरी रकम उस पर एक मास के ब्याज सहित सरकार को वापस कर दी जाएगी। जब किसी मोटरकार की खरीद करके उसका पूरा संदाय किया जा चुका हो तब मोटरकार की खरीद करने के लिए कोई अग्रिम अनुळ्ेय नहीं होगा। किसी ऐसे मामले में जिसमें संदाय भागरूप किया गया है, अग्रिम की रकम, दी जाने वाली बाकी रकम तक सीमित होगी जैसा संसद अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

6. **करार का निष्पादन -** अग्रिम लेते समय संसद अधिकारी से प्ररूप 1 में करार निष्पादन करने की अपेक्षा की जाएगी और खरीद पूरी होने पर, उससे प्ररूप 2 में एक ऐसा बंधक-पत्र निष्पादित करने की भी अपेक्षा की जाएगी जिसमें अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में मोटरकार सरकार को आडमान (गिरवी) रखी गई हो। मोटरकार की कीमत बंधक-पत्र के साथ संलग्न विनिर्देशों की अनुसूची में प्रविष्ट की जाएगी।

7. **वेतन और लेखा अधिकारी को प्रमाणपत्र -** जब कोई अग्रिम लिया जाता है तब मंजूरी प्राधिकारी, राज्य सभा/लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि अग्रिम लेने वाले

संसद अधिकारी ने प्रारूप 1 में करार पर हस्ताक्षर कर दिए है और वह करार ठीक पाया गया है। मंजूरी प्राधिकारी यह देखेगा कि मोटरकार की खरीद अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर की जाती है और वह प्राधिकारी बंधक-पत्र को अंतिम रूप से अभिलेख में रखने से पूर्व राज्य सभा/लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को उसकी परीक्षा के लिए तुरंत प्रस्तुत करेगा।

8. **बंधक-पत्र की सुरक्षित अभिरक्षा और उसका रद्द किया जाना –** बंधक-पत्र मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा अभिरक्षा में रखा जाएगा। जब अग्रिम का पूर्णत: प्रतिसंदाय कर दिया गया जो तब अग्रिम और ब्याज के पूर्ण प्रतिसंदाय के बारे में राज्य सभा/लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् बंधक-पत्र सम्यकत: रद्द किया जाकर संबद्ध संसद अधिकारी को वापस कर दिया जाएगा।

9. **मोटरकार का बीमा –** अग्रिम से खरीदी गई मोटरकार का अग्नि, चोरी या दुर्धटना से होने वाली पूरी हानि के लिए बीमा कराया जाएगा। बीमा पालिसी में एक ऐसा खंड (जैसा प्रारूप 3 में है) होगा जिसके द्वारा बीमा कंमनी मोटरकार की ऐसी हानि या नुकसान की बाबत, जिसकी प्रतिपूर्ति मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की जाती है, संदेय किन्हीं राशियों का संदाय स्वामी को करने के बजाय सरकार को करने के लिए करार करती है।

प्ररूप – 1

मोटरकार खरीदने के लिए अग्रिम लेने समय किए जाने वाले करार का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री.. .. .. जो संसद का एक अधिकारी है (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसका विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख .. .. को किया गया।

उधार लेने वाले ने मोटकार खरीदने के लिए संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 के अधीन बनाए गए नियमों के, जो मोटरकार के खरीदने के लिए संसद के अधिकारियों को अग्रिम की मंजूरी को विनियमित करते हैं, उपबंधों के अधीन .. .. रूपयें (.. .. .. रूपये) उधार दिए जाने के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन किया है और केंद्रीय सरकार उधार लेने वाले को उक्त रकम आगे दिए गए निबंधनों और शर्तो पर उधार देने के लिए सहमत हो गई है।

इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाला केंद्रीय सरकार द्वारा उसे दी जाने वाली .. .. रूपये (.. .. .. रूपये) की रकम के प्रतिफलस्वरूप केंद्रीय सरकार के साथ यह करार करता है कि वह (1) केंद्रीय सरकार को उक्त रकम का तथा उक्त नियमों के अनुसार लगाए गए ब्याज का संदाय अपने वेतन में से प्रतिमास कटौती करके करेगा,जैसा कि अक्त नियमों में उपबंधित है, और एसी कटौतियाँ करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राधिकृत करता है, और (2) इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर उक्त उधार की पूरी रकम मोटरकार खरीदने में लगाएगा या यदि उसके द्वारा दी गई वास्तविक कीमत उधार की रकम के कम है तो शेष रकम केंद्रीय सरकार को तुरंत लौटा देगा, और (3) उधार लेने वाले को पूर्वोक्त उधार की रकम और ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटरकार को केंद्रीय सरकार के पक्ष में आडमान (गिरवी) रखने के लिए उक्त नियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा। यह करार किया गया जाता है और घोषण की जाती है कि इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर उक्त मोटरकार खरीदी और आडमान रखी नही जाती है या यदि उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या अपना पद छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उघार की पूरी रकम और उस पर ब्याज तुरंत शोध्य और संदेय हो जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त दिन और वर्ष को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

उक्त .. ..

(उधार लेने वाले का नाम) ने (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

.. .. पदनाम.. .. ..

(साक्षी के हस्ताक्षर) कार्यालय.. .. ..

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्ररूप - 2

मोटरकार अग्रिम के लिए बंधकपत्र का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में .. .. (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया हे और इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच तारीख .. .. को किया गया।

उधार लेने वाले ने एक मोटरकार खरीदने के लिए संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 के अधीन बनाए गए नियमों (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है) के, जो मोटरकार खरीदने के लिए संसद के अधिकारियों को अग्रिम मंजूर करने के बारे में हैं, नियम 3 के निबंधनों पर .. .. रूपये के अग्रिम के लिए आवेदन किया है और वह मंजूर कर किया गया है और उधार लेने वाले को उक्त अग्रिम जिन शर्तो पर दिया गया है उनमें से एक यह है कि उधार लेने वाला उसे उधार दी गइर्् रकम के लिये प्रतिभूति के रूप में उक्त मोटरकार राष्ट्रपति को आडमान (गिरवी) रखेगा ओर उधार लेने वाले पूर्वोक्ति के रूप में इस प्रकार अग्रिम रकम से, या उसके भाग से मोटरकार, जिसकी विशिष्टियां इसके नीचे लिखी अनुसुची में दी गई हैं, खरीद ली है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला यह प्रसंविदा करता है कि वह पूर्वोक्त .. .. रूपये की रकम या उसके उस भाग का जो इस विलेख की तारीख तक शेष रह जाता है .. .. रूपये की समान किस्तों में प्रत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और उस समय देय और शेष राशि पर उक्त नियम के अनुसार लगाया गया ब्याज देगा। उधार लेने वाला इस बात के लिए सहमत है कि ऐसी किस्तें उक्त नियमों द्वारा उपबंधित रीति में उसके वेतन से मासिक कटौतियां करके वसूल की जा सकेंगी और उक्त करार के ही अनुसरण में उधार लेने वाला मोटरकार का, जिसकी विशिष्टियां नीचे लिखी अनुसूची में दी गई है, उक्त अग्रिम और उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त नियमों की अपेक्षानुसार राष्ट्रपति को समनुदेशन और अंतरण करता है।

उधार लेने वाला यह करार करता है और यह धोषणा करता है कि उसने उक्त मोटरकार की पूरी कीमत का संदाय कर दिया है और वह पूर्ण रूप से उसकी संपत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और जब तक उक्त अग्रिम के संबंध में कोई धनराशि राष्ट्रपति को संदेय रहती है तब तक वह उक्त मोटरकार को न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा और न उसमें अपने स्वत्व या कब्ज़े को छोड़ेगा। यह भी करार किया जाता है और धोषणा की जाती है कि यदि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त या ब्याज देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रूप में नही दे दिया जाता है या वसूल नहीं कर लिया जाता है या यदि उधार लेने की किसी समय मृत्यु हो जाती है, या किसी भी समय अपना पद छोड़ देता है या यदि उधार लेने वाला उक्त मोटरकार को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ देता है अथवा वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समळाौता या ठहराव कर लेता है अथवा यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के खिलाफ किसी डिक्री या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आंरभ करता है तो उक्त मूल धन की पूरी रकम को जो उस समय देय हो किन्तु उसका संदाय न किया गया हो, पूर्वोक्त रूप से लगाए गए ब्याज सहित तुरन्त संदेय हो जाएगी और यह करार किया जाता है और धोषणा की जाती है कि इसमें इसके पूर्व उल्लिखित धटनाओं में से किसी के होने पर राष्ट्रपति उक्त मोटरकार को अभिग्रहण

कर सकेंगे और उसका कब्जा ले सकेंगे या तो उसको हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेंगे, या उसे हटा सकेंगे और सार्वजनिक नीलामी अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा उसे बेच सकेंगे तथा बेचने से प्राप्त रकम में से उक्त अग्रिम का उस समय शेष भाग और पूर्वोक्त रूप में लगाया गया और देय कोई ब्याज और इसके अधीन अपने अधिकारों को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किए सब खर्च, प्रभार, व्यय और संदाय अपने पास रख सकेंगे तथा यदि कोई रकम शेष रहती है तो उसे उधार लेने वाले, उसके निष्पादकों, प्रशासकों या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देंगे, परन्तु उक्त मोटरकार का कब्जा लेने या उसको बेचने की पूर्वोक्त शक्ति से, उधार लेने वाले पर या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त शेष और ब्याज के लिए अथवा यदि मोटरकार बेच दी जाती है तो उतनी रकम के लिए जितनी से बेचने से प्राप्त शुद्ध आगम देय रकम से कम पड़े राष्ट्रपति के वाद लाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा तथा उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि जब कोई धनराशि राष्ट्रपति को देय हो और बाकी रहे तब तक उधार लेने वाला उक्त मोटरकार का अग्नि, चोरी या दुर्धटना से हानि या नुकसान के लिए किसी बीमा कंमनी में, जो संबंधित महालेखाकार द्वारा अनुमोदित की जाए, बीमा कराएगा और उसे चालू रखेगा तथा महालेखाकार को समाधानप्रद रूप में इस बात का साक्ष्य पेश करेगा कि उस मोटर बीमा कंपनी को, जिसमें उक्त मोटरकार का बीमा कराया गया है यह सूचना मिल चुकी है कि उस पालिसी में राष्ट्रपति हितबद्ध है। उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि वह उक्त मोटरकार को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करने देगा या होने देगा अथवा उसमें उचित टूट-फूट से अधिक टूट-फूट नहीं होने देगा तथा यदि उक्त मोटरकार को कोई नुकसान पहुंचता है या उसके साथ कोई दुर्धटना होती है तो उधार लेने वाला उसकी तुरन्त मरम्मत कराएगा और उसे ठीक करा लेगा।

अनुसूची

मोटरकार का वर्णन :

गाड़ी का नाम :

वर्णन :

सिलेंडरों की संख्या :

इंजिन संख्या :

चैसिस संख्या :

लागत :

इसके साक्ष्यस्वरूप उक्त.. .. .. (उधार लेने वाने का नाम) और राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से .. .. ने उक्त दिन और वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है-

उक्त.. .. ..

ने

1. .. .. (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर 2. .. .. और पदनाम)

(साक्षियों के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

.. ..

(अधिकारी का नाम और पदनाम) (अधिकारी के हस्ताक्षर)

ने

1. .. .. पदनाम.. .. ..

2. .. .. कार्यालय .. ..

(साक्षियों के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

उधार लेने वाले का नाम और पदनाम .. ..

प्ररूप-3

बीमा पालिसी में जोड़े जाने वाले खंड का प्ररूप

1. यह धोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री.. .. .. ने (मोटरकार का स्वामी जिसे इसमें आगे इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है) कार केन्द्रीय सरकार को (या भारत संध के राष्ट्रपति को) उस अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में आडमान कर दी है, जो उस मोटरकार के खरीदने के लिए लिया गया है। यह भी धोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि उक्त सरकार (या राष्ट्रपति) ऐसे धन में भी हितबद्ध हैं जो, यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री .. .. (इस पालिसी के अधीन बीमाकृत) की उक्त मोटरकार की हानि या उसको हुए नुकसान की बाबत (जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है) संदेय होगा। ऐसा धन सरकार को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वह इस मोटरकार की बंधकदार है। सरकार की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत कंपनी ने पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया हे उसके सिवास इसकी किसी भी बात से बीमाकृत के या कंमनी के इस पालिसी के अधीन या संबंध में अधिकार या दायित्व का अथवा इस पालिसी के किसी निबंधन, उपबंध या शर्त का न तो उपांतरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा।